

नि०२११०
नि०२११०
इपमा सुट्ट
कुपु
१९.५.१६

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक: 19/5/2016

का०आ०सं०-७ / स्था०(अ०नि०)-०८ / २०१६.....²⁴⁶⁷ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-२८०४ दिनांक-२९.०३.२०१० एवं १०००० दिनांक-१०.०७.२०१५ के निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार के अधीन किसी भी उत्पाद कार्यालय से सेवानिवृत्त निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद/उत्पाद सिपाही को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित की गई थी।

२. उक्त विज्ञापन के आधार पर प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार एवं समीक्षा हेतु दिनांक-०५.०५.२०१६ को आवेदनकर्ताओं का Walk-in- Interview का आयोजन किया गया।

३. Walk-in-Interview की कार्यवाही के आलोक में निम्नांकित योग्य अवर निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद/उत्पाद सिपाही को संविदा के आधार पर अगले ०६ (छः) माह के लिये नियोजित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

४. उपर्युक्त संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयनित कर्मी दिनांक-२८.०५.२०१६ तक अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम पदनाम	गृह जिला	संविदा के आधार पर नियोजित पद का नाम	पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
१	श्री मुनेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद।	पटना	अवर निरीक्षक उत्पाद	सहायक आयुक्त उत्पाद, कार्यालय, गया।	
२	श्री अवध किशोर सिंह सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक उत्पाद, सारण।	वैशाली	अवर निरीक्षक उत्पाद	सहायक आयुक्त उत्पाद, कार्यालय, पटना।	
३	श्री धीरेन्द्र कुमार राय, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, सुपौल।	शेखपुरा	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, सुपौल।	
४	श्री कमलदेव यादव, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर।	मधुबनी	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, पूर्णियाँ।	
५	श्री अजीत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, भोजपुर।	पटना	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, अररिया।	
६	श्री तनिक सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, शेखपुरा।	शेखपुरा	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, लखीसराय।	
७	श्री रामचन्द्र चौधरी, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, शेखपुरा।	पटना	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, किशनगंज।	
८	श्री बृजनन्दन प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, सिवान।	सिवान	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, गोपालगंज।	

9.	श्री इन्द्रदेव प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, जहानाबाद।	गया	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, औरंगाबाद।
10	श्री कृष्णा प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, पूर्वी चम्पारण।	पटना	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	सहायक आयुक्त उत्पाद, गया।
11.	श्री सुरेश्वर राम, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, बक्सर।	रोहतास	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, कैमूर।
12.	श्री अनन्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, शिवहर।	मुजफ्फरपुर	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, सीतामढ़ी।
13.	श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, पटना।	नालंदा	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, गया।
14.	श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, नवादा।	मुजफ्फरपुर	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, नवादा।
15.	श्री योगेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, पटना।	पटना	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, कैमूर।
16.	श्री रामाश्रय सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, नवादा।	नालंदा	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, नवादा।
17.	श्री रंजीत सिंह, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, पूर्णिमा।	गया	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, कैमूर।
18.	श्री शिवाधार शर्मा, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, मोतिहारी।	जहानाबाद	उत्पाद सिपाही	सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, गया।
19.	श्री परमेश्वर मंडल सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, नालंदा।	दरभंगा	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, पूर्णिमा।
20.	श्री पवन कुमार, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, गया।	गया	उत्पाद सिपाही	सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना।
21.	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, कैमूर।	गया	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, कैमूर।
22	श्री राम दिनेश सिंह, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, पटना।	नालंदा	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, नवादा।
23.	श्री शंकर ओझा, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, शिवहर।	मुजफ्फरपुर	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, प0 चम्पारण।
24.	श्री राम नरेश ओझा, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, मोतिहारी।	मुजफ्फरपुर	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, पूर्वी चम्पारण।
25.	श्री बिरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, पटना।	पटना	उत्पाद सिपाही	सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, गया।

26.	मो0 मुमताज, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, गया।	नवादा	उत्पाद सिपाही	सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, गया।
27.	श्री राम नरेश गिरी, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही,	अरवल	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, औरंगाबाद।
28.	श्री रामायण शर्मा, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, ई0आई0बी0, पटना।	पटना	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, गोपालगंज।
29.	मो0 शफीउर रहमान, सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही, पूर्णियाँ।	मुजफ्फरपुर	उत्पाद सिपाही	अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, प0 चम्पारण।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में संबंधित जिला के उत्पाद कार्यालय की स्थापना से मुख्य बजट शीर्ष, व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें की अदायगियाँ ईकाई से नियोजित कर्मियों का मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

6. उपर्युक्त संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के विरुद्ध निगरानी मामला लम्बित रहने, विभागीय कार्यवाही संचालित रहने, गंभीर आरोप विचाराधीन रहने एवं कोई आपराधिक मामला दर्ज रहने पर उनका नियोजन बिना कोई सूचना दिये रद्द कर दिया जायेगा।

7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि "मेरे विरुद्ध कोई निगरानी/आपराधिक मामला इसी न्यायालय में दर्ज नहीं है और सरकार के द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।

8. आरक्षित कोटि के अंतर्गत नियोजित होनेवाले सेवानिवृत्त कर्मी, जिन्होंने आरक्षण कोटि के समर्थन में आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया है, वे योगदान के समय अपना जाति प्रमाण-पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. उपर्युक्त संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का मानदेय का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

(क) विभागीय मुख्यालय/विभागीय कंट्रोल रूम में कार्यरत, नियोजित सेवानिवृत्त निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद का मानदेय का भुगतान उत्पाद पक्ष के लेखा से मुख्य बजट शीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें के अदायगियाँ ईकाई से किया जायेगा।

(ख) जिला उत्पाद कार्यालय/चेकपोस्ट पर कार्यरत, नियोजित सेवानिवृत्त निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद का मानदेय का भुगतान संबंधित जिला उत्पाद कार्यालय की स्थापना से, मुख्य बजट शीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें के अदायगियाँ ईकाई से किया जायेगा।

10. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये उक्त नियोजन को किसी समय रद्द कर सकता है।

11. सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद कार्यालय में नियोजित उपर्युक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को प्राथमिकता के तौर पर जाँच चौकी, हवाई अड्डा, विशेष केन्द्र पर पदस्थापित करेंगे।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुंवर जंग बहादुर)
आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-7/स्था0(उ0सि0) स्थानान्तरण-02/2015.....²⁴⁶⁷/

पटना, दिनांक-^{19/5/2016}

प्रतिलिपि-सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-7/स्था0(उ0सि0) स्थानान्तरण-02/2015.....²⁴⁶⁷

पटना, दिनांक-^{19/5/2016}

प्रतिलिपि-संबंधित सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/सभी विभागीय पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उत्पाद) को अतिरिक्त प्रति के साथ/संबंधित सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।